

अनुमान के पंचावयव (Lecture-2)

Five Membered of Inference (Lecture-2)

जब मनुष्य अपने लिए अनुमान करना है तो उसे स्वार्थानुमान
कहते हैं। इसमें तीन अवयव होते हैं। प्रथम, साध्य और
हेतु समझी चर्चा ही वा युक्त है। लेकिन जब हमें
प्रकारों के सामने किसी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए
अनुमान का सहारा लेना पड़ता है तो उसे प्रार्थानुमान
कहते हैं। प्रार्थानुमान के पाँच अवयव होते हैं।
वह कारण उसे पंचावयव अनुमान कहते हैं। ये हैं-
प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपत्वगत एवं निगमण।

(i) प्रतिज्ञा :- अनुमान द्वारा जिस वाक्य को सिद्ध करना
चाहते हैं उसे प्रतिज्ञा कहते हैं। जब हम प्रश्न पर
आवाही सिद्ध करना चाहते हैं। उसे पहले ही स्पष्ट
कर देते हैं। जिसे सिद्ध करना है उसके स्पष्ट करना ही
प्रतिज्ञा है। प्रश्न पर आवाही प्रश्न प्रतिज्ञा के अ में
प्रथम वाक्य में रहता है। जब यह सिद्ध हो जाता है तब
वह अन्तिम वाक्य में निष्कर्ष के रूप में स्थापित होता है।

(ii) हेतु :- हेतु का अर्थ प्रतिज्ञा के बाद है। अपनी
प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए जो युक्ति दी जाती है
उसे हेतु कहा जाता है। पर्वत पर आवाही प्रमाणित
करने के लिए हम बुझों का सहारा लेते हैं। कहते हैं-
पर्वत पर बुझों हैं। जैसे ही हेतु कहते हैं। हेतु के द्वारा
हम अपने प्रश्न में साध्य का अन्तिम प्रमाणित करते हैं।

(iii) उपाहरण :- जिस हेतु के आधार पर लाक्षण को प्रमाणित किया जाता है उसकी पुष्टि के लिए धरना उपर्युक्त करता उपाहरण है। यदि हम धुआँ के आधार पर आग को प्रमाणित करता चाहते हैं तो इसके प्रमाणित करने के लिए कोई हस्तांत देना उपाहरण ही जैसे रसोई घर में धुआँ के साथ आग है। हस्तांत के साथ व्याप्ति का रहना भी आवश्यक है। हेतु और लाक्षण के बीच अतिव्यक्ति संबंध को व्याप्ति कहते हैं। यह व्याप्ति न दूरेत वाक्य संबंध है अतः उपाहरण से साहचर्य नहीं धुआँ को व्याप्ति संबंध का कुछ हो। जैसे जहाँ ही उपाहरण लक्षित व्याप्ति कहा जाता है। न्याय में साक्षात् साक्षात् गीतरा है। यह पाश्चात्य न्याय के बहुत वाक्य के समान है।

(iv) उपनयन => उपाहरण के साथ हेतु और लाक्षण का व्यापक संबंध विवक्षित के पर्याय अपने पक्ष में अनेक प्रमाणों की उपनयन कहा जाता है। धुआँ और आग का जो व्यापक संबंध है उसी का विशेष प्रयोग पहाड़ के संबंध में किया जाता है। जैसे पहाड़ पर धुआँ है। उपनयन ही वह वाक्य है जो पहाड़ पर आग के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। यह पाश्चात्य न्याय के लघु वाक्य के समान है।

(v) निगमण :- 'परक' पर अर्थ है - इसे ही बुद्धिमान में सिद्ध करने वाले हैं। जब तक यह प्रमाणित नहीं होता तब तक यह प्रकिया है और जब यह सिद्ध हो जाता है तब इसे निगमण कहा जाता है। निगमण प्रकिया ही पुनरावृत्ति है। यह प्रकिया हेतु उपाहरण, व्याप्ति वाक्य, उपनयन के द्वारा प्रमाणित वाक्य है।